प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 09/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने “एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों” पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 9 फरवरी 2023 -भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है।”

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने संदर्भ दिनांक 11.05.2022 के तहत निम्नलिखित मुद्दों पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत प्राधिकरण की अनुशंसाए मांगी हैं:

(i) एफएम चरण-III नीति दिशानिर्देश दिनांक 25.07.2011 में निर्धारित वार्षिक शुल्क के फॉर्मूले में गैर-वापसी योग्य एक बार प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) के लिंकेज को हटा दें।

(ii) 15 साल की मौजूदा एफएम लाइसेंस अवधि को 3 साल तक बढ़ाएं।

3. एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्राधिकरण ने 5 अगस्त 2022 को एआरओआई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एआरओआई के प्रतिनिधियों ने अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण के विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दों को उठाया:

(i) निजी एफएम रेडियो चैनलों को स्वतंत्र समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति देना

(ii) मोबाइल हैंडसेट में एफएम रेडियो रिसीवर की उपलब्धता

4. तदनुसार, यह परामर्श पत्र एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को प्राप्त करने हेतु तैयार किया गया है। 9 मार्च 2023 तक हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हो, 23 मार्च 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकता है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष सं. +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

6. परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा